न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :– 34/2020

उनवान

1. अजुन पुत्र माधा जाति गुर्जर निवासी छारसा चौराया तन सुराणा तहसील शाहपुरा

बनाम

1 गोपाल पुत्र माधा
2 छोटूराम पुत्र माधा
3 दुना देवी पत्नि स्व0 सरदारा
4. रामनारायण पुत्र माधा
5. रामेश्वर पुत्र माधा
6. रामरतन पुत्र नाथू
7. केसरी देवी पुत्री नाथू
8. छोटी देवी पुत्री नाथू
9 दाफा देवी पुत्री नाथू
10 मंगली पुत्री नाथू
11 सन्ती देवी पुत्री नाथू
12 पारा देवी पत्नि नाथू

समस्त जाति गूर्जर निवासी सुराणा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

13 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
14 उप पंजीयक उप पंजीयक कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर
15 मैनेजर राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा खोरालाडखानी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर टी ए

आदेश दिनांक 20/1/2022

वादीगण की ओर से उपर्युक्त उनवानी संस्थित वाद बाबत बंटवारा एंव स्थाई निषेधाज्ञा का अन्तर्गत धारा 53 व 188 राज0काश्तकरी अधिनियम 1955 के तहत जरिये अधिवत्ता श्री मदनलाल जाट ने दिनांक 4.8.2020 को न्यायालय हाजा में इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम सुराणा स्थित आराजी खसरा नम्बर 249 रकबा 0.18 है0, 250 रकबा 0.29 है0, 254 रकबा 0.36 है0, 255रकबा 0.18 है0, 267 रकबा 0.41 है0, 267/1304 रकबा 0.04 है0,268 रकबा 0.03 है0, 269 रकबा 0.35 है0, 811 रकबा 0.76 है0, 812 रकबा 0.54 है0, 813 रकबा 0.58 है0, 814 रकबा 0.61 है0, 815 रकबा 0.19 है0, 820 रकबा 0.30 है0, 821 रकबा 0.59 है0 कुल किता 15 रकबा 5.41 है0, भूमि पक्षकारान की सम्मिलित सह खातेगदारी एवं कब्जे की भूमि है, जिसकी खातेदारी वादी का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं0 1 गोपाल का 1/16 हिस्सा प्रतिवादी सं0 2 छोटूराम का 1/16 हिस्सा प्रतिवादी सं0 3 दूना देवी का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं0 4 रामनारायण का 1/16 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 5 रामेश्वर का 1/16 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 6 लगायत 12 के मृतक पिता व पति नाथू पुत्र भंवरा का 1/4 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकर्ड है सह खातेदार नाथू पुत्र भंवरा फौत हो चुका है, जिसके वारिसानर प्रतिवादी सं0 6 लगा0 12 का नाम आराजी के राजस्व रिकार्ड में विरासत नामान्तकरण सं0 1193 दिनांक 29.7.2020 द्वारा दर्ज हो चुका है।

यह है कि उक्त विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से अर्सा 30 वर्ष से भी अधिक समय पर्वू बाहमी बंटवारा कर लिया था उक्त बाहमी बंटवारे वादी के हिस्से में आराजी खसरा नम्बर 821 रकबा 0.59 है0, 249 रकबा 0.18है0, 255 रकबा 0.18 है0, तथा 250 रकबा 0.29 है0 में से पश्चिम दिशा की 0.05 है0 , 254 रकबा 0.36 है0 में से पश्चिम दिशा की 0.05 है0 एवं 811 रकबा 0.76 है0 में से दक्षिण दिशा की 0.30 है0 इस प्रकार कुल 1.35 है0 भूमि आयी थी । शेष भूमि प्रतिवादीगण के हिस्से में आयी थी । वादी एवं प्रतिवादी अपनी अपनी बाहमी बंटवारे में आयी भूमि पर बाहमी बंटवारे के समय से ही काबिज रहकर कास्त करते चले आ रहे है वादी ने बाहमी बंटवारे में आयी भूमि को उपजाऊ बनाने में काफी पैसा खर्च किया है तथा ख0नं0 254 की पश्चिमी दिशा की 0.05 है0 भूमि में पुख्ता मकान बना रखा

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

है तथा खसरा नम्बर 821 रकबा 0.59 है0 भूमि में कच्चा घर टीनशेड बना रखा है तथा थडी रख रखी है जिसमें वादी चायपानी की होटल कर अपना व अपने परिवार का जीवन यापन करता आ रहा है । वादी ने कच्चा घर व थडी में विद्युत कनेक्शन ले रखा है वादी पुख्ता मकान, कच्चा घर टीनशेड आदि को अपने निवास व कृषि यंत्रो के रख रखाव के काम मे लेता आ रहा है।

यह है कि कुछ अर्से से वादी से प्रतिवादीगण की घरेलू बातों को लेकर दुर्भावना रखते है इस कारण प्रतिवादीगण वादी के कब्जे कास्त में अडचन पैदा करने पर आमादा है वादी ने दिनांक 2.8.20 को प्रतिवादीगण को वाद पत्र के वर्णित बाहमी बंटवारे के अनुसार बंटवारा कराने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण काफी नाराज हो गये और उन्होने बाहमी बंटवारे के अनुसार वाद पत्र में वर्णित विवादित आराजी का बंटवारा कराने से मना कर दिया तथा प्रतिवादीगण ने एलानिया धमकी दी कि वे आराजी का बिना बंटवारा कराये ही विशिष्ट भू भाग का बेचान अजनबी व्यक्ति को कर उसके पक्ष में प्रतिवादी सं0 14 के कार्यालय में अन्तरणडीड पंजीबद्व कराकर व राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन कराकर वादी को उसके कब्जे कास्त की भूमि से जबरन बैदखल करके रहेगें । इस प्रकार प्रतिवादीगण अपने मन्सूबे में सफल हो गये और उन्होने वाद पत्र में वर्णित उक्त विवादित आराजी का बाहमी बंटवारा के अनुसार बंटवारा कराये बिना ही आराजी के विशिष्ट भू भाग का बेचान अजनबी व्यक्ति को करके राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन कराकर वादी को बाहमी बंटवारे में आयी भूमि से जबरन बेदखल कर देगे तो इससे वादी के खातेदारी हक अधिकारों का हनन होगा जिसमें वादी को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से धनराशि के रूप में नहीं की जा सकेगी तथा पक्षकारों में अनावश्यक मुकदमें बाजी बढेगी इस कारण वादी को प्रतिवादीगण के खिलाफ वादग्रस्त आराजी का बाहमी बंटवारे के अनुसार बंटवारा कराने एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के लिए उक्त वाद माननीय न्यायालय के समक्ष लाना आवश्यक हुआ है। वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 लगा 12 की सह खातेदारी भूमि होने तथा बाहमी बंटवारे में आयी अपनी अपनी भूमि पर काबिज काश्त होने एवं प्रतिवादीगण द्वारा बाहमी बंटवारे के अनुसार बंटवारा कराने से इन्कार कर देने तथा अजनबी व्यक्ति को विशिष्ट भू भाग का बैचान कराने की धमकी दिये जाने से पैदा होकर दावा अन्दर मियाद पेश है।

अन्त में वादी ने निवेदन किया कि उक्त विवादित आराजी का उपर वर्णित बाहमी बंटवारे के अनुसार वादपत्र मंजूर किया राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जावे तथा प्रतिवादीगण व उनके नौकर, एजेन्ट, प्रतिनिधि , वारिसान आदि को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादी के बंटवारे में आयी भूमि के कब्जे कास्त व उपयोग व उपभोग में कोई बाधा कारित नहीं करे ।

वादपत्र प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली गई तथा दावा काबिले समात होना पाया जाने पर दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की सुनवाई के लिए जरिये सम्मन तलबी करवाई गई । प्रतिवादीगण बावजूद सम्मन तलबी की सूचना के अनुपस्थित रहने पर प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 9.11.2020 को प्राथमिक डिकी जारी कर लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा से आराजी वादग्रस्त के राजस्व अभिलेख में दर्ज अभिलिखित सहखातेदारी के हिस्से के रकबे का निर्धारण कर मौके पर कब्जा कास्त को दृष्टिगत रखते हुए राजस्व मण्डल के निर्देशानुसार सरस नरस के आधार पर बंटवारानामा की कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई । प्रतिवादी रामरतन के द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के यहां इस न्यायालय के आदेश दिनांक 9.11.2020 के विरूद्व अपील करने पर पत्रावली तलब की गई । माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर ने अपनी निर्णय दिनांक 24.12.2021 के द्वारा अपीलाण्ट की अपील खारिज कर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 9.11.2020 को यथावत रखा है।माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 24.12.2021 में इस न्यायालय के आदेश दिनांक 9.11.2020 को उचित मानते हुए अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय तथा तहसीलदार के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु स्वतंत्र मानते हुए निर्णय पारित है।

तहसीलदार शाहुपरा की ओर से अपने पत्र कमांक /भू0अ0/20/ 3595 दिनांक 24.12.2020 के संलग्न प्रस्तावित बंटवारानामा की कुर्रेजात की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, । माननीय न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने पर इस न्यायालय हाजा में प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ न्याय हित अपना पक्ष रखने हेतु एक अवसर दिया गया लेकिन प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। वादीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने कुर्रेजात रिपोर्ट को सही होना स्वीकार किया तथा अन्तिमि डिकी किये जाने हेतु निवेदन किया । हमने भी तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया बंटवारा प्रस्ताव सही होना प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बटवारा रिपोर्ट के अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है। आराजी खसरा नम्बर 249 रकबा 0.18 है0, 250 रकबा 0.29 है0, 254 रकबा 0.36 है0, 255रकबा 0.18 है0, 267 रकबा 0.41 है0, 267/1304 रकबा 0.04 है0,268 रकबा 0.03 है0, 269 रकबा 0.35 है0, 811 रकबा 0.76 है0, 812 रकबा 0.54 है0, 813 रकबा 0.58 है0, 814 रकबा 0.61 है0, 815 रकबा 0.19 है0, 820 रकबा 0.30 है0, 821 रकबा 0.59 है0 कुल किता 15 रकबा 5.41 है0, भूमि वाके ग्राम सुराणा तह0 शाहपुरा के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाकर पृथक-पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है-

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

1. आ.ख.नं. 249 रकबा 0.18 है0, 255 रकबा 0.18 है0, 254/1 रकबा 0.09 है0, 820 रकबा 0.30 है0, 821/1 रकबा 0.57 है0, 815 /1 रकबा 0.0150 है0 कुल किता 6 रकबा 1.3350 है0 भूमि वादी अर्जुन की खातेदार के हिस्से में रहेगी। आराजी ख0नं0 815 /1 रकबा 0.0150 है0 की किस्म गै0मु0रास्ता रहेगा।

2. आ.ख.नं. 250/2 रकबा 0.27 है0, 254/3 रकबा 0.2460 है0, 267 रकबा 0.41 है0, 267/1304 रकबा 0.04 है0, 268 रकबा 0.03 है0, 269 रकबा 0.03 है0, 811 रकबा 0.76 है0, 812 रकबा 0.54 है0, 813 रकबा 0.58 है0, 814 रकबा 0.61 है0, 815/2 रकबा 0.1750 है0 कुल किता 11 रकबा 4.0110 है0 भूमि प्रतिवादीगण 1 लगा0 12 के हिस्से में रहेगी।

3. आ0ख0नं0 250/1 रकबा 0.02 है0, 254/2 रकबा 0.0240 है0, 821/2 रकबा 0.02 है0 कुल किता 3 रकबा 0.0640 है0 भूमि किस्म गै0मु0 रास्ता वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 12 के नाम शामलाती में रहेगी ।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बटवारा अनुसार एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 20/1/2022 को सरै इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन मीना)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :– 34/2020

उनवान

1. अजुन पुत्र माधा जाति गुर्जर निवासी छारसा चौराया तन सुराणा तहसील शाहपुरा

बनाम

1 गोपाल पुत्र माधा
2 छोटूराम पुत्र माधा
3 दुना देवी पत्नि स्व0 सरदारा
4. रामनारायण पुत्र माधा
5. रामेश्वर पुत्र माधा
6. रामरतन पुत्र नाथू
7. केसरी देवी पुत्री नाथू
8. छोटी देवी पुत्री नाथू
9 दाफा देवी पुत्री नाथू
10 मंगली पुत्री नाथू
11 सन्ती देवी पुत्री नाथू
12 पारा देवी पत्नि नाथू

समस्त जाति गूर्जर निवासी सुराणा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

13 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
14 उप पंजीयक उप पंजीयक कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर
15 मैनेजर राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा खोरालाडखानी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर टी ए

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बटवारा रिपोर्ट के अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है। आराजी खसरा नम्बर 249 रकबा 0.18 है0, 250 रकबा 0.29 है0, 254 रकबा 0.36 है0, 255रकबा 0.18 है0, 267 रकबा 0.41 है0, 267/1304 रकबा 0.04 है0,268 रकबा 0.03 है0, 269 रकबा 0.35 है0, 811 रकबा 0.76 है0, 812 रकबा 0.54 है0, 813 रकबा 0.58 है0, 814 रकबा 0.61 है0, 815 रकबा 0.19 है0, 820 रकबा 0.30 है0, 821 रकबा 0.59 है0 कुल किता 15 रकबा 5.41 है0, भूमि वाके ग्राम सुराणा तह0 शाहपुरा के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाकर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है–

1. आ.ख.नं. 249 रकबा 0.18 है0, 255 रकबा 0.18 है0, 254/1 रकबा 0.09 है0, 820 रकबा 0.30 है0, 821/1 रकबा 0.57 है0, 815 /1 रकबा 0.0150 है0 कुल किता 6 रकबा 1.3350 है0 भूमि वादी अर्जुन की खातेदार के हिस्से में रहेगी। आराजी ख0नं0 815 /1 रकबा 0.0150 है0 की किस्म गै0मु0रास्ता रहेगा।

2. आ.ख.नं. 250/2 रकबा 0.27 है0, 254/3 रकबा 0.2460 है0, 267 रकबा 0.41 है0, 267/1304 रकबा 0.04 है0, 268 रकबा 0.03 है0, 269 रकबा 0.03 है0, 811 रकबा 0.76 है0, 812 रकबा 0.54 है0, 813 रकबा 0.58 है0, 814 रकबा 0.61 है0, 815/2 रकबा 0.1750 है0 कुल किता 11 रकबा 4.0110 है0 भूमि प्रतिवादीगण 1 लगा0 12 के हिस्से में रहेगी।

3. आ0ख0नं0 250/1 रकबा 0.02 है0, 254/2 रकबा 0.0240 है0, 821/2 रकबा 0.02 है0 कुल किता 3 रकबा 0.0640 है0 भूमि किस्म गै0मु0 रास्ता वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 12 के नाम शामलाती में रहेगी ।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बटवारा अनुसार एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलअन्दाजी पैदा नहीं करें ।

आज तारीख 20-1-2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्श के लिए स्टाम्प 4. —— रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामिल	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	/
जोड़		जोड़	